अधिसूचना सं0 21/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम (छठा संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 11 जुलाई, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2 केंद्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(थक) "हटाने के स्थान से"

(i) उत्पाद-शुल्क्य माल के उत्पादन या विनिर्माण का कोई कारखाना या अन्य स्थान या परिसर ;

(ii) कोई भांडागार या अन्य स्थान या परिसर जिसमें उत्पाद-शुल्क्य माल को शुल्क के संदाय किए बिना जमा करना अनुज्ञात किया गया है ;

(iii) कोई डिपो, पारेषण अभिकर्ता का परिसर या अन्य कोई स्थान या परिसर जहां से उत्पाद-शुल्क्य माल का कारखाने से निकासी के उपरांत विक्रय किया जाना है,

अभिप्रेत है, जहां से ऐसे माल को हटाया जाता है, ।';

3 उक्त नियमों के नियम 4 में, --
(क) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 सितंबर, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता नियम 9 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों को जारी करने की तारीख से छह मास के पश्चात् केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लेगा । ";

(ख) उपनियम (7) में, --

(i) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु निवेश सेवा के संबंध में, जहां सेवा का प्राप्तिकर्ता संपूर्ण सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है, सेवा कर का संदाय करने के पश्चात् प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी निवेश सेवा के संबंध में, जहां सेवा का प्राप्तिकर्ता सेवा कर के किसी भाग का संदाय करने के लिए दायी है और सेवा प्रदाता शेष भाग का संदाय करने का दायी है, वहां ऐसी निवेश सेवा के संबंध में केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय उस दिन को या उसके पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा जिसको निवेश सेवा के मूल्य का संदाय किया जाता है और नियम 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, बीजक, बिल या चालान में उपदर्शित सेवा कर का संदाय किया जाता है या संदेय है :

परंतु यह भी कि यदि निवेश सेवा के मूल्य और नियम 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, बीजक, बिल या चालान में उपदर्शित संदत्त या संदेय सेवा का, सिवाय ऐसी निवेश सेवा की बाबत, जहां सेवा का प्राप्तिकर्ता संपूर्ण सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है, संदाय, यथास्थिति, बीजक, बिल या चालान की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जिसने ऐसी निवेश सेवा पर प्रत्यय लिया है, ऐसी निवेश सेवा पर लिए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का संदाय करेगा और यदि उक्त संदाय किया जाता है तो, यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा प्रदाता इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का प्रत्यय लेने का हकदार होगा :"

(ii) पांचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 सितंबर, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता नियम 9 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों को जारी करने की तारीख से छह मास के पश्चात् केंद्रीय मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय नहीं लेगा ।";

(4) उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (8) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यदि ऐसा संदाय विनिर्दिष्ट या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात विस्तारित अवधि के पश्चात् किंतु ऐसी अवधि से एक वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाता है, तो सेवा प्रदाता इस प्रकार प्राप्त संदाय के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियम 3 के निबंधनों के अनुसार पूर्व में संदत्त केंद्रीय मूल्यवर्धित कर के समतुल्य रकम का प्रत्यय उस सीमा तक, जहां तक उसका संबंध ऐसे संदाय से है, पुन: प्राप्त करने का हकदार होगा ।";

(5) उक्त नियमों के नियम 12क के उपनियम (4) के आरंभिक भाग में, "अपने किसी एक पंजीकृत विनिर्माण परिसर में उपलब्ध" शब्दों के स्थान पर, "10 जुलाई, 2014 को या उससे पूर्व उसके किसी एक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माण परिसर द्वारा लिया गया," अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 10 सितंबर, 2004 को अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 15/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 21 मार्च, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 203(अ) तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।